मेन्युफैक्चर एण्ड अदर ऑपरेशन्स इन वेयरहाउस (नं. 2) रेग्यूलेशन्स, 2019

अधिसूचना सं. 69/2019- सीमाशुल्क (गै.टे.), 01 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठित धारा 157, 143कक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मेन्युफैक्चर एण्ड अदर ऑपरेशन्स इन वेयरहाउस रेग्यूलेशन्स, 2019 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद् द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन विनियमों को 'मेन्युफैक्चर एण्ड अदर ऑपरेशन्स इन वेयरहाउस (नं. 2) रेग्यूलेशन्स, 2019' कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो-

(i) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ii) "बॉन्ड अधिकारी" से अभिप्राय सीमाशुल्क के ऐसे अधिकारी से है जो वेयरहाउस का प्रभारी हो;

(iii) "अभिप्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक" से अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारियों से है;

(iv) "फॉर्म" से अभिप्राय ऐसे फॉर्म से है जो इन विनियमों में संलग्न हैं;

(v) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धाराओं से है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिनका यहां तो प्रयोग हुआ हो और इन विनियमों में परिभाषित न किया गया हो का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में इनके लिए क्रमशः दिए गये हों।

3. क्षेत्र-विस्तार- ये विनिमय उन इकाईयों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम की धारा 65 के तहत आती हैं या ऐसी इकाईयाँ जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 65 के तहत अपना कार्य करने के लिए स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।

4. इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु आवेदन करने की पात्रता- (1) इन विनियमों के तहत प्रचालन के आवेदन करने के पात्र होंगे,-

(i) ऐसा व्यक्ति जिसे निजी वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 58 के तहत वेयरहाउस के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो।

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम की धारा 58 के तहत वेयरहाउस के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है साथ ही इस अधिनियम की धारा 65 के अनुसार वेयरहाउस में विनिर्माण या अन्य कार्य के लिए उपक्रम प्राप्त किया हो।

(2) इन विनियमों के तहत प्रचालन हेतु आवेदन, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास किया जाएगा और साथ में इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि,-

(i) माल के प्राप्त होने और उसको हटाए जाने का हिसाब-किताब ऐसे प्रपत्र में डिजिटल रूप में रखा जाएगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो, और उसे डिजिटल रूप में ही मासिक आधार पर बंद अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक बॉन्ड भरा जायेगा; और

(iii) जब भी कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के लिए जरूरी समझा जाये उस समय इनपुट-आउटपुट नॉर्म्स में सूचित करना और जब भी इसमें कोई परिवर्तन हो तो संशोधित इनपुट-आउटपुट नॉर्म्स में भी सूचित करना।

5. अनुमति का प्रदान किया जाना- विनियम 4 के अनुसार दिये गये आवेदन की विधिवत जांच करने के पश्चात प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो इन प्रावधानों के अंतर्गत कार्य संचालन की अनुमति देगा।

6. अनुमति की वैधता- विनियम 5 के अंतर्गत दी गयी कोई भी अनुमति तब तक वैध रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार धारा 58 के अतर्गत इसको रद्द नहीं कर दिया जाता है या वापस नहीं कर दिया जाता है या धारा 58 के अंतर्गत दिये गये लाइसेंस को रद्द नहीं कर दिया जाता है या उसे वापस नहीं कर दिया जाता है।

7. वेयरहाउस कीपर की नियुक्ति- (1)ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसे विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गयी है एक वेयरहाउस कीपर की नियुक्ति करेगा जिसे वेयरहाउस के परिचालन और सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में उचित अनुभव हो ताकि वह उस व्यक्ति के कार्यों को कर सके।

(2) वेयरहाउस कीपर इस अधिनियम या नियमों और इसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से कागजी कार्यवाही फाइल करने के लिए अभिप्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक से एक डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

8. सुविधाएं, उपकरण और कार्मिक- एक व्यक्ति जिसे विनियम 5 के तहत अनुमति दी गयी है वह वेयरहाउस में निम्नलिखित सुविधा उपकरण और कार्मिक प्रदान करेगा,-

(i) साइनेज जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो कि यह स्थान या भवन एक सीमाशुल्क बोन्डेड वेयरहाउस है;

(ii) माल की प्राप्ति, भण्डार, प्रचालन और माल को हटाये जाने का जानकारी के लिए एक कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम; और

(iii) ऐसी सुविधाएं, उपकरण और कार्मिक जो कि वेयरहाउस के उचित नियंत्रण के लिए आवश्यक है, इसमें माल के भण्डारण की सुरक्षा और सीमाशुल्क के अधिकारियों द्वारा इन विनियमों के अनुसरण को सुनिश्चित करना।

9. माल के आवागमन की शर्तें- (1) जहाँ माल को आयात के सीमाशुल्क स्टेशन से एक वेयरहाउस या एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस या निर्यात के लिए वेयरहाउस से एक सीमाशुल्क स्टेशन तक ले जाया जाता है, तो लोड कम्पार्टमेंट को एक वन टाइम लॉक से सील करके सुरक्षित किया जायेगाः

बशर्ते कि सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो भी मामला हो, माल की प्रकृति या आवागमन के प्रकार के अनुरूप ऐसे माल के आवागमन के लिए बिना वन टाइम लॉक को बिना लगाये आवागमन की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(2) जहाँ वेयरहाउस से माल को हटाकर, आयात के सीमाशुल्क स्टेशन से एक वेयरहाउस तक ले जाया जाना है वहाँ उपविनियम (1) के अनुसार सीमाशुल्क के सक्षम अधिकारी द्वारा वन टाइम लॉक लगाया जायेगा।

(3) जहाँ वेयरहाउस से माल को हटाकर एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तक ले जाया जाना है वहाँ उपविनियम (1) के अनुसार सीमाशुल्क के लाइसेंस धारक द्वारा वन टाइम लॉक लगाया जायेगा।

(4) जहाँ वेयरहाउस से माल को हटाकर एक वेयरहाउस से निर्यात के लिए सीमाशुल्क स्टेशन तक ले जाया जाना है वहाँ उपविनियम (1) के अनुसार सीमाशुल्क के लाइसेंस धारक द्वारा वन टाइम लॉक लगाया जायेगा।

10. सीमाशुल्क स्टेशन से माल की प्राप्ति- (1) एक सीमाशुल्क स्टेशन से वेयरहाउस में माल प्राप्त होने पर लाइसेंस धारक,-

(i) सीमाशुल्क स्टेशन पर माल को वेयरहाउस ले जाने के लिए लोड कम्पार्टमेंट से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा लगाये गये वन टाइम लॉक की जांच करेगा;

(ii) यदि वन टाइम लॉक सही प्रकार से नहीं पाया जाता है तो तुरंत ही बोन्ड अधिकारी को इसकी सूचना देगा और माल की उतराई से भी मना कर सकेगा;

(iii) यदि वन टाइम लॉक सही पाया जाता है तो माल उतरवायेगा और वेयरहाउस में माल को रखने के लिए बिल ऑफ एन्ट्री के मिलान से प्राप्त माल की मात्रा की जांच करेगा;

(iv) माल की मात्रा में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो इसकी रिपोर्ट 24 घण्टे के भीतर बोन्ड अधिकारी को करेगा;

(v) प्राप्त माल को वेयरहाउस में रखने के लिए बिल ऑफ एन्ट्री पर हस्ताक्षर करेगा और इसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रखेगा;

(vi) माल वाहक द्वारा दिये गये माल के आवागमन के कागजात पर माल की प्राप्ति के हस्ताक्षर करेगा और इसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रखेगा; और

(vii) प्राप्त माल का रिकॉर्ड रखेगा।

(2) प्राप्त माल को वेयरहाउस रखकर इसका रिकॉर्ड लेने पर, लाइसेंस धारक अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) से संबंधित सक्षम अधिकारी और बोन्ड अधिकारी को वेयरहाउस में माल की प्राप्ति भिजवायेगा।

11. अन्य वेयरहाउस से माल की प्राप्ति- अन्य वेयरहाउस से माल की प्राप्ति पर, लाइसेंस धारक,-

(i) माल को वेयरहाउस ले जाते हुए लोड कम्पार्टमेंट में सक्षम अधिकारी द्वारा लगाये गये वन टाइम लॉक की जांच करेगा;

(ii) यदि वन टाइम लॉक सही प्रकार से नहीं पाया जाता है तो तुरंत ही बोन्ड अधिकारी को इसकी सूचना देगा और माल की उतराई से भी मना कर सकेगा;

(iii) यदि वन टाइम लॉक सही पाया जाता है तो माल उतरवायेगा और प्राप्त माल की मात्रा की जांच करेगा और-

(क) यदि माल धारा 65 के तहत प्रचालन की एक इकाई से प्राप्त होता है तो इन विनियमों के तहत संलग्न फॉर्म से मिलान करेगा;

(ख) यदि माल धारा 65 के तहत प्रचालन की एक इकाई से नहीं प्राप्त किया गया है तो वेयरहाउस गुड्स (रिमूवल) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित फॉर्म से मिलान करेगा;

(iv) माल की मात्रा में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो इसकी रिपोर्ट 24 घण्टे के भीतर बोन्ड अधिकारी को करेगा;

(v) प्राप्त माल को वेयरहाउस से हटाने के लिए फॉर्म पर प्राप्त माल की मात्रा सहित हस्ताक्षर करेगा और इसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रखेगा;

(vi) माल वाहक द्वारा दिये गये माल के आवागमन के कागजात पर माल की प्राप्ति के हस्ताक्षर करेगा और इसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रखेगा;

(vii) प्राप्त माल का रिकॉर्ड रखेगा; और

(viii) अपने पास रखे गये कागजात की प्रतिलिपियाँ बोन्ड अधिकारी और जहाँ से माल प्राप्त किया गया है ऐसे वेयरहाउस के वेयरहाउस कीपर के पास भिजवायेगा।

12. घरेलू खरीदे गये माल की प्राप्ति- घरेलू खरीदे गये माल की प्राप्ति पर, लाइसेंस धारक प्राप्त माल को अपने रिकॉर्ड में लेगा।

13. वेयर हाउस से माल का हस्तांतरण- (1) कोई लाइसेंसी किसी वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस या निर्यात वाले कस्टमस स्टेशन में माल के अंतरण की अनुमत बांड आफिसर को किसी वेयर हाउस से माल का अंतरण किए जाने वाले प्रपत्र में सूचना देने के साथ ही देगा ।

(2) उपविनियम (1) के अनुसार बांड आफिसर को सूचित किए जाने पर, लाइसेंसी-

(i) माल को हटाने और परिवहन के साधन पर उसको लादे जाने की अनुमति देगा :

(ii) परिवहन के साधन पर वन टाइम लाक लगाएगा :

(iii) फार्म पर वन टाइम लाक की संख्या पृष्ठांकिता करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा:

(iv) परिवहन के कागजातों पर वन टाइम लाक सं. पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा:

(v) माल को हटाये जाने को दर्ज करेगा: और

(vi) इसकी डिलीवरी कराएगा और अपने पास रखे गए कागजातों की कॉपी बांड आफिसर को सौपेगा।

14. घरेलू खपत के लिए परिणामी माल का हटाया जाना - (1) लाइसेंसी घेरेलू खपत के लिए परिणामी माल को हटा सकता है;
बशर्ते कि घरेलू खपत के लिए बिल ऑफ एंट्री में उस वेयर हाउस में रखे गए माल के बारे में ऐसे पिरमाणी माल का विवरण दिया गया हो और उसमें ऐसे माल से संबंधित आयात को, ब्याज,दंड और देय शास्ति, यदि कोई हो का भुगतान कर दिया गया हो ।

(2) लाइसेंसी दायर किए गए बिल ऑफ एंट्री की एक प्रति अपने पास रेखेगा और हटाये गए माल के कागजातों को भी अपने पास रखेगा

15. निर्यात के लिए परिणामी माल को हटाया जाना - (1) लाइसेंसी निर्यात वाले वेयर हाउस से परिणामी माल को निम्नस्थितियों में हटा सकता है-

(i) शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट: , जैसी भी स्थिति हो को दायर करके: और

(ii) वेयर हाउस से जिस परिवहन के साधन से मांग को हटाया जा रहा हो उसके लोड कंपार्टमेंट में वन टाइम लाक लगाकर।

(2) लाइसेंसी हटाये गए माल का रिकार्ड रखेगा

16. माल के भावी आगमन से सबंधित शर्तें– माल का लाइसेंसी

(i) यथोचित अधिकारी को : धारा 60 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किए गए आदेश की तारीख से एक माह के भीतर या ऐसी बढ़ायी गई अवधि के भीतर जिसके लिए ऐसा अधिकारी अनुमति दे, इस बात की पावती देगा कि माल को उक्त वेयर हाउस में जमा कर दिया गया है;

(ii) वेयर हाउस के प्रभावी बांड अधिकारी को, वेयर हाउस से माल को हटाये जाने की तारीख से एक माह के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए ऐसा अधिकारी अनुमति दे उस वेयर हाउस के लाइसेंसी के द्वारा जारी की गई पावती देगा जहां से माल को हटाया गया है और उसमें यह बताएगा कि माल उस स्थान पर पहुंच गया है;

(ग) वेयर हाउस के प्रभावी बांड अधिकारी को वेयर हाउस से माल को हटाये जाने की तारीख से एक माह के भीतर से या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए ऐसा अधिकारी अनुमति दे, निर्यात वाले सीमाशुलक स्टेशन के यथोचित अधिकारी के द्वारा जारी किए गए पावती को देगा जिसमें यह बताया गया है कि उक्त माल उस स्थान पर पहुंच गया है;

जिसके न होने पर ऐसे माल का स्वामी धारा 72 की उपधारा (क) के अंतर्गत देय ब्याज, दंड और शास्ति समेत ऐसे माल पर लगने वाले शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करने का दायी होगा ।

17. **माल को जमा करने वाले वेयर हाउस से संबंधित कागजातों का रख-रखाव** - (1) लाइसेंसी का कार्य होगा- (i) रसीद के विस्तृत रिकॉर्ड को बनाए रखना, संभालना, भंडारण करना और किसी भी सामान को मालगोदाम से या उसके बाहर, जैसा भी मामला हो, निकालना और आवश्यकता होने पर, बांड अधिकारी को इसे प्रस्तुत करना;

(ii) मालगोदाम के माल के संबंध में की गई प्रत्येक गतिविधि, संचालन या कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना;

(iii) वर्तमान समय में लागू अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत मालगोदाम के माल से नमूनों के आहरण का रिकॉर्ड रखना; और

(iv) धारा 59 के अंतर्गत निष्पादित मालगोदामों में या मालगोदामों से या माल की रसीद या उसके निष्कासन और बॉड की प्रतियों के प्रमाणन वाले प्रविष्टि-बिल, परिवहन दस्तावेजों, किसी मालगोदाम से माल के हस्तांतरण के लिए फॉर्म, शिपिंग-बिल या निर्यात-बिल या कोई अन्य दस्तावेजों की प्रतियां रखना ।

(2) उप-विनियमन (1) के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड और खातों को मालगोदाम से माल निकालने की तिथि से पांच साल की न्यूनतम अवधि के लिए अद्यतन

और सटीक तथा संरक्षित रखा जाएगा और अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत बांड अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

(3) कोई लाइसेंसधारी प्राकृतिक आपदाओं, आग, चोरी, कुशल उठाईगीरी या कंप्यूटर की खराबी के कारण रिकॉर्ड्स के नुकसान को रोकने के लिए मालगोदाम के अलावा किसी स्थान पर उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट रिकॉर्ड्स की अद्यतन डिजिटल प्रतियां भी संरक्षित रखेगा ।

(4) कोई लाइसेंसधारक उस माह जिससे ऐसा रिर्टन संबद्ध है की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, मासिक रिटर्न की एक मासिक रिर्टन, भंडारण, संचालन और मालगोदाम में माल के निष्कासन को बांड अधिकारी के साथ फाइल करेगा ।

18. लेखापरीक्षा. - उपयुक्त अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 65 के अंतर्गत काम करने वाली किसी इकाई का ऑडिट कर सकता है ।

19. शास्ति. - यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या इस तरह के उल्लंघन को रोक देता है या इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

20. मुक्ति की शक्ति. - माल की प्रकृति, उनके परिवहन या भंडारण से संबंधित बोर्ड इन विनियमों के किसी प्रावधान से माल की किसी श्रेणी को छूट दे सकता है।

प्रपत्र

(देखे- विनियमन 2 के उपविनियम (i) का उपवाक्य (iv))

भाग क

(प्रेषक वेयर हाउस में भरे जाने के लिए)

आयात का ब्यौरा	वेयर हाउसिंग का ब्यौरा		माल					हटाये जाने का उद्देश्य		माल के प्रेषण का ब्यौरा			
बिल की प्रविष्टि का संख्या और तारीख (यदि लागू हो)	वेयर हाउस का कोड और पता	बाण्ड क्रमांक और तारीख	माल का विवरण	पैकेजो का विवरण और सं.	पैकेजों पर लगे चिन्ह और सं.	भार और मात्रा	मूल्य	अन्य वेयर हाउस में जमा करना इस वेयर हाउस का कोड और पता	हवाईजहाज या समुद्र मार्ग या स्थल मार्ग या पोस्ट के द्वारा निर्यात (कस्टम स्टेशन का ब्यौरा दें)	हटाये जाने की तारीख और समय	परिवहन के साधन का पंजीकरण और ब्यौरा	कंटेनर सं. (यदि लागू हो)	वन टाइम नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

लाइसेंसधारी या प्रेषण वेयर हाऊस में वेयरहाउस संरक्षक के हस्ताक्षर
तारीख:

भाग ख

(जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा भरा जाना है)

माल की प्राप्त का ब्यौरा			टिप्पणी
वेयर हाउस या सीमाशुल्क में प्राप्ति की तारीख और समय	क्या परिवहन के साधन की पंजीकरण सं. इस प्रेषण से मिलान खाती है	क्या वन-टाइम-लॉक ठीक-ठाक पाया गया है	
(1)	(2)	(3)	(4)

प्राप्ति वाले वेयर हाउस के लाइसेंसधारी और वेयर हाउस कीपर के हस्ताक्षर, तारीख सहित
या
निर्यात वाले कस्टम स्टेशन के यथोचित अधिकारी का हस्ताक्षर, तारीख सहित

(फाईल सं. 484/03/2015-एलसी पार्ट)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार